

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-बालोद (छ.ग.)

Phone No. - 07749-223970. Email - Balod.cg@gov.in

// संशोधित आदेश - 2//

क्रमांक/2622/सां.शाखा/2020

बालोद, दिनांक 24/मार्च/2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM (A) दिनांक 21.04.2020 एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक/191/सा.प्र.वि./2020 दिनांक 22.04.2020 के परिपालन में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2578/एस.डब्लू./2020 बालोद दिनांक 21.04.2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवसायिक संस्थानों के खोले जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाता है:-

क्र.	संस्थान/दुकानों का विवरण	खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1.	ऑटो मोबाईल, टायर एवं पंचर की दुकान, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सेनेटरी, (प्लम्बर) आयटम, बिजली पंखे, निर्माण सामग्रियों की दुकान- यथा सीमेंट सरिया आदि	प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक

कार्यालयीन संशोधित आदेश दिनांक 21.04.2020 द्वारा पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत् रहेगा।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित)

पृष्ठ क्रमांक/2622/एस.डब्लू./2020


प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

99 |SW/Deepak/Balod/2020

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-बालोद (छ.ग.)
बालोद, दिनांक 24.04.2020

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
14. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्-बालोद/दल्लीराजहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत गुरुर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
20. कार्यालयीन प्रति।


 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
 जिला-बालोद (छ.ग.)